प्रधान लेखा कार्यालय: एक लेखा संगठन

प्रधान लेखा कार्यालय की वेबसाइट देखने के लिए यहां क्लिक करें
http://ccamoud.nic.in/

सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना

मंत्रालय का सचिव मुख्य लेखा प्राधिकारी होता है एवं इस कार्य का निष्पादन वह वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा नियंत्रक की सहायता से करता है । मुख्य लेखा नियंत्रक लेखा संगठन का प्रधान होता है और अपने कार्य का निष्पादन दो लेखा नियंत्रक अर्थात उप लेखा नियंत्रक तथा वेतन एवं लेखा अधिकारी की सहायता से करता है । इस मंत्रालय के भुगतान एवं लेखा कार्य का निष्पादन 13 वेतन एवं लेखा अधिकारी द्वारा की जाती है जिसमें से 6 दिल्ली में, 2 चेन्नई में 2 कोलकाता में, 2 मुम्बई में एवं 1 शिलांग में स्थित है । सीसीए के लेखा नियंत्रण के अंतर्गत सीपीडब्ल्यूडी के लगभग 350 प्रभाग, क्षेत्रीय कार्यालय एवं परिमंडल है । इसके अतिरिक्त मुद्रण के प्रधान लेखा कार्यालय के पास भारत सरकार की कई इकाईयां एवं मुद्रणालय है । नियमित एवं आवधिक लेखा रिपोर्ट लेखा संगठन द्वारा सीधे वित्त मंत्रालय को सीएजी द्वारा राष्ट्रीय स्तर के लेखा के समेकन के लिए प्रस्तुत किया जाता है ।

प्रधान लेखा कार्यालय पीएओ से प्राप्त मासिक लेखा समेकित करके सभी 13 पीएओ के कार्यकलापों को समन्वित एवं नियंत्रित करके, मंत्रालय के 4 अनुदानों के संबंध में विनियोग लेखा तैयार करने, केन्द्रीय लेन देने के विवरण, वित्तीय लेखा इत्यादि द्वारा एक मुख्य भूमिका निभाता है और इसे लेखा महानियंत्रक को भेजते है । सीपीडब्ल्यूडी परिमण्डल को क्रेडिट पत्र(एलओसी) जारी करने हेतु मुख्य लेखा कार्यालय में एक विशेष प्रकोष्ठ है । तकनीकी सलाह अनुभाग मंत्रालय तथा इसके कार्यालयों द्वारा सीसीए के संबंधित कार्यालय संबंधी तकनीकी मुद्दो की जांच करती है । प्राप्ति एवं भुगतान हेतु बैंकिंग व्यवस्था भी इन कार्यालयों द्वारा संयोजित एवं निगरानी की जाती है ।

संगठन का आंतरिक लेखा परीक्षा विंग(आईएडब्ल्यू) गैर-चैक आहरण डीडीओ एवं चेक आहरण डीडीओ/ प्रभागों का आंतरिक लेखा परीक्षा करती है जो मंत्रालय के सम्बद्ध / अधीनस्थ कार्यालय है । आंतरिक लेखा परीक्षा की आवर्तिता निरीक्षण की जाने वाली इकाईयों में लेखाओं के आकार, संचालन की मात्रा एवं स्थिति पर निर्भर करती है ।